

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक 768 / 33-1रोड / दिनांक, हमीरपुर, सितम्बर 27, 2019.

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-2 लो0नि0वि0
हमीरपुर।

विषय:-जनपद-हमीरपुर में चिकासी से राठ तक बिलरायों-पनवाड़ी मार्ग (राजमार्ग संख्या-21) के चैनेज 430.00 से 442.00 तक 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण एवं जनपद-महोबा में बिलरायों-पनवाड़ी मार्ग (राजमार्ग संख्या-21) के चैनेज 442.000 से 448.680 तक 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु गजट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक-1408/सी-1/दिनांक 25.09.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में माँगी गयी गजट की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

All AE, S / JET

उत्तरित अति
23/09/19

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

उत्तर प्रदेश गजट, २० फरवरी, १९६० ई० (फाल्गुन १, १८८१ शक संवत्)

कार्यालय उपमहाप्रबंधक
दूरसंचार, परियोजना
वाराणसी
कम सं० २५६
दिनांक ०६-०८
यस संचार निगम लिमिटेड

शुद्धि-पत्र

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० ५११-एस-टी/३६-ए-१२१६ (एस-टी)-५९-उत्तर प्रदेश गजट (भाग १), दिनांक ९ जनवरी, १९६० ई० के पृष्ठ संख्या ३२ पर प्रकाशित विज्ञापित संख्या ६७९७ (एस-एम)/३६-ए-१२१६ (एस-एम)-५९, दिनांक २ जनवरी, १९६० ई० में शब्द "सुपरिस्ट्रिक्ट इंजीनियर" के स्थान पर शब्द "सुपरिस्ट्रिक्ट इंजीनियर" पढ़िये।

आज्ञा से,
हरीश चन्द्र खरसेना,
सचिव।

वन विभाग

विविध

१० फरवरी, १९६० ई०

सं० १११५/१४-३३१-४०-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २९ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांव तथा भूमिलेख करने में इतना अधिक समय लगनेवा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है।

अतएव उक्त उपधारा के प्रतिबंधक द्वारा और उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के तहत पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांव तथा भूमिलेख करने तक उक्त ऐक्ट के अन्वया ४ के उपबन्ध संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	नाम तहसिल	दूरी मील, कर्जावत और कीडों में	विवरण
१-मेरठ सीड	१-मेरठ-बागपत रोड	३ मील से ३१ मील २ फ०	भूमि की सीमा वरपरों द्वारा अंकित की गई है।
	२-बागपत-सहारनपुर	१ मील से २४ मील २ फ०	"
	३-बागपत-सीता-शाहदुर्ग	शून्य से १७ मील २ फ० २६० फीट तक	"
	४-मेरठ-मुआना	२ मील से १७ मील	"
	५-मेरठ-बल्लभगढ़	२ मील से २९ मील तक	"
	६-टी० आर० एम० रोड	४१ मील से ५५ मील	"
	७-टी० रोड	८७० मील से ८७३ मील	"
	८-बंगमाबाद-बनसडीकरी	१ मील से ६ मील	"
	९-मुरादनगर-रेलवे	शून्य से २ फ० १०६ फीट तक	"
	१०-मोडीमगर-रेलवे कीडर	शून्य से ६४० फीट तक	"
	११-मोडीमगर-रेलवे कीडर	शून्य से ४ फ० १० फीट तक	"
	१२-मेरठ-सवरना रोड	२.४२६ से १२.३.३२०	"
	१३-दुरेला-सवरना रोड	०.०.० से ६.४.२६०	"
	१४-बल्लभगढ़-तेनागढ़ रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
	१५-बरीद-सपरीली	१ से २ मील	"
	१६-मेरठ-बरेली रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
	१७-नेशनल हाईवे सं० २४	२८ मील ६ फ० से ८ फ० तक ३ मील १ फ० से ३ फ० तक	"
	१८-जी० टी० रोड-गाजीपुर से उत्तर प्रदेश पाठगढ़	८७४ मील ५४८ फ० से ८७९ मील २ फ० ७० फीट तक	"
	१९-गाजीपुर-हापुर रोड	१ मील से २१ मील ६ फ० २४९ फीट तक	"
	२०-हापुरगढ़ रोड	१ मील ४८४ फीट से १९ मील ४ फ० ७० फीट तक	"
२-मुजफ्फरनगर	१-डी० आर० एम० रोड	५६ मील से ९१ मील	"
	२-सतीली-जगसैय-पिपरा-बिजनौर	२४ मील ६ फ० से २ मील ३१ फीट तक	"
	३-मुजफ्फरनगर-शामली-रंता	२ मील से ३१ मील	"
	४-मुजफ्फरनगर-सहारनपुर	७७ मील से १० मील	"
	५-मुजफ्फरनगर-बिजनौर	७३ मील से २१ मील तक	"
	६-मोहना-रकीराताल	शून्य से ३ मील तक	"
	७-मुजफ्फरनगर-यूरना-री	७ मील तक	"
	८-मुजफ्फरनगर-बागपत-सहारनपुर रोड	२४ मील से ५३ मील ३ फ० तक	"

दायाली प्रमाणित

प्रमाणित वन अधिकारी
हमीरपुर वन प्रभाग
हमीरपुर

नगर प्रदेश गजट, २० फरवरी, १९६० ई० (फागुन १, १८८१ बिक्रम संवत्)

[भाग १]

विभाग	भाग संख्या	हरी मीन, काला मीन और फीटी मी	विवरण
१—जालीन-बनगरी रोड		१ मील से ११ मी० तक	भूमि की सीमा पारपरी द्वारा अंकित की गई है।
७—होश-मरी गाँव रोड		१-०-० से ११-०-०	"
८—हमीरपुर महोबा			
१—कानपुर-हमीरपुर-महोबा रोड		२२ मी० से १५ मील तक	"
२—महोबा-१५-महोबा रोड		१ मी० से ५० मी० तक	"
३—महोबा-बनगरी रोड		१ मी० से ५३ मी० तक	"
हमीरपुर विधान			
४—महोबा-बनगरी रोड		०-०-० से ०-४-०	"
५—होश मीन का न आकर जिस से हमीन का नकल		०-०-० से १-३-४०	"
६—हमीरपुर-बनगरी रोड		०-०-० से ३५-०-०	"
७—हमीरपुर-मुहम्मद रोड		२-१-० से ३३-०-०	"
८—महोबा-मुहम्मद रोड		०-०-० से १-०-०	"
९—मुहम्मद-मुहम्मद रोड		०-३-० से ४-२-०	"
१०—महोबा रोड-बनगरी रोड		०-०-० से ५-०-०	"
११—मुहम्मद-फारिद रोड		०-०-० से ५-०-०	"
१२—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से ६-३-५५	"
१३—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से १७-१-२०७	"
१४—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से ६-१-१०	"
१५—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		११-०-० से १२८-०-०	"
१६—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से ८-१-४९	"
१७—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		१३-०-० से २३-०-०	"
१८—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से ११-०-०	"
१९—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		१-१-५२५ से १-२-१५९	"
२०—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		१-०-० से १२-२-३३०	"
२१—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से २-३-२४५	"
२२—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		१-०-० से ८-५-४२५	"
२३—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		१२-मील २५० ३३० फीट से १६-मील ५०० ६०० फीट	"
२४—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से २५-३-५८०	"
२५—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से १२-४-५०० ६३० फीट	"
२६—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से १-०-३८७	"
२७—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से ०-४-१०	"
२८—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से ०-२-११८	"
२९—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से ०-२-३०८	"
३०—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से ०-१-१५०	"
३१—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से ०-५-१५५	"
३२—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से ०-१-४१८	"
३३—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से ०-२-२५१	"
३४—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से ०-७-३९०	"
३५—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		०-०-० से ०-४-५०८	"
३६—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		७८२-१-४५५ से ७८५-७-३३०	"
३७—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		७८१-०-० से ८१७-०-०	"
३८—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		३-०-० से ५८-०-०	"
३९—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		१-०-० से ७-०-०	"
४०—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		१-०-० से १०-०-०	"
४१—मुहम्मद रोड-बनगरी रोड		मील २, १ और ४	"

प्रमाणित वन अधिकारी
हमीरपुर वन प्रभाग
हमीरपुर